उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
संख्या- 47/2024/एस-2-H 708 /दस-2024
लखनऊ :: दिनॉक:: 30 जून, 2024

कार्यालय-आदेश

उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के समूह-'ख' (ग्रेड पे 5400) के अधिकारी श्री राम मुरारी लाल, वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी को तत्काल प्रभाव से सहायक निबन्धक, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स, झांसी के पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

2- श्री लाल को निर्देशित किया जाता है कि वे एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध करायेंगे।

3- स्थानान्तरण नीति के बिन्दु-11(i) में उल्लिखित प्राविधान के क्रम में उक्त अधिकारी के नियंत्रक प्राधिकारी को भी यह निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें।

संजीव सिंह
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।
2- रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स, लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, झांसी।
7- श्री राम मुरारी लाल, वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
30/6/2024
(संजीव सिंह)
विशेष सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।